29 कुछ खास लेनदेन - जिस पर इन्कम टैक्स विभाग की नजर है
Stutement of Financial Transations

इन्कम टैक्स विभाग ने किसी व्यक्ति द्वारा 01.04.2004 के बाद किये गए निम्नलिखित लेनदेन पर, नजर रखने के लिये, संबंधित एजेंसी को ऐसे व्यक्तियों की जानकारी, वार्षिक सूचना रिटर्न के माध्यम से फार्म नं. 65 में (कम्प्यूटर मीडिया में) जमा करना धारा 285 BA के तहत, अनिवार्य किया है –

क	लेनदेन की प्रकृति एवं उसकी वित्तीय सीमा	रिटर्न किसे दाखिल करना है ?
1	बचत खाता में 1 वर्ष में, 10 लाखसे अधिक राशि का नगद (Cash) जमा	बैंक
2	चालू खाते में 1 वर्ष में 50 लाख नकद जमा/निकासी	बैंक
3	बैंक में डिमांडड्राफ्ट, बैंकर चैक आदि के लिए 10 लाख नकद जमा	बैंक
4	10 लाख से अधिक फिक्सड डिपाजिट (नवीकरण को छोड़कर) 1 वर्ष में	बैंक
5	किसी क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा 1 वर्ष में, 1 लाख नगद या 10 लाख से अधिक राशि का भुगतान	क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता
6	म्यूचुअलफंड बाण्ड/ डिबेन्चर/ शेयरों की खरीद हेतु 10 लाख या उससे अधिक राशि की प्राप्ति	म्युचुअलफंड/ बाण्ड/डिबेन्चर जारीकर्ता शेयर जारी करने वाली कम्पनी
7	30 लाख रू या उससे अधिक की, किसी अचल संपत्ति की खरीद/बिक्री	रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार
8	किसी वस्तु/सेवा की बिक्री पर रु. 2 लाख की नकद भुगतान प्राप्त	कोई व्यक्ति जिसे 44AB के तहत आडिट करवाना आवश्य हो।

अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि व्यक्ति कम से कम उपरोक्त प्रकृति के लेन–देन (अर्थात् धनराशि के उद्गम) का पूरा विवरण अपने पास अवश्य रखे तथा संभव हो तो आयकर रिटर्न में भी देवें।

30 हिन्दु अविभाजित परिवार
HUF

हिन्दुओं में एक परिवार की परिकल्पना होती है। जिसमें एक मुख्या (Karta) होता है, जो प्रायः घर का वरिष्ठ पुरूष व्यक्ति होता है। तथा घर में रहने वाले सभी व्यक्ति उस परिवार के सदस्य होतें हैं। इस परिवार को जो संपत्ति अपने पूर्वजों से मिली होती है, या परिवार के सदस्यों द्वारा एक साथ मिलकर अर्जित की जाती है, उस पर कर्ता सहित सभी का अधिकार होता है। परन्तु जो संपत्ति व्यक्तिगत रूप से कमाई गई होती है उस पर जीवन पर्यन्त उसी अकेले व्यक्ति का अधिकार होता है जिसे वह अपने मरने के पश्चात भी चाहे तो वसीयत (Will) के माध्यम से किसी के भी नाम कर सकता है। इस प्रकार के पारिवारिक व्यवस्था को आयकर की दृष्टि से भी मान्यता प्राप्त है। इसके अनुसार व्यक्तिगत रूप से अर्जित होने वाली आय परकर देने का दायित्व व्यक्तिगत होता है। इसी प्रकार हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) की आय पर कर देने का दायित्व हिन्दु अविभाजित परिवार (HUF) की श्रेणी में कर्ता का होता है।

अतः HUF की कोई आय हो, तो बेहतर कर योजना अर्थात् करदेयता को विभक्त करने के लिए व्यक्तिगत के साथ साथ हिन्दु अविभाजित परिवार (HUF) की भी इन्कम टैक्स फाईल बनाकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।

- ☞ HUF में कम से कम दो सदस्य होना जरूरी है तथा अविवाहित लड़कियॉ एवं बहुऍ भी सदस्य होती है
- ☞ HUF को प्रायः व्यक्तिगत (Individual) श्रेणी के समान कर देय होतें हैं।
- ☞ पैतृक संपत्ति, तोहफे (Gift) HUF के सदस्यों से सम्मिलित प्रयासों से संपत्ति अर्जित कर HUF की पूंजी बनाई जाती है।
- ☞ HUF अपने फंड का उपयोग किसी भी व्यवसाय में जैसे शेयर में, साझेदारी, फर्म में साझेदारी तथा प्रापर्टी बगैर खरीदने में कर सकता है
- ☞ तोहफे (Gift) HUF के सदस्यों से प्राप्त होने पर, आय का संयोजन हो जाता है। परन्तु यदि दादा – दादी, चाचा, पिता, अन्य रिश्तेदार, जो HUF के सदस्य नही हैं, तथा दोस्त आदि से Gift प्राप्त होने पर, आय का संयोजन नही होता है।

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:36 PM